



सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं०: 4841/1014/2015

दिनांक: 22.08.2017

श्री लखनलाल नरवरिया
पता—एन.एफ.बी.एम.पी.ब्रांच
प्लॉट नं: 3, सेकण्ड फ्लोर विद्याविहार
स्कूल के सामने प्रोफेसर कालोनी
भोपाल, मध्य प्रदेश – 462002

R3161

वादी

बनाम

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
(द्वारा) अध्यक्ष
पश्चिम मध्य रेलवे, आर.बी.—111/422
1 एवं 2, नेहरू रेलवे कॉलोनी
हाउस बाग, जबलपुर—482001 (मध्य प्रदेश)

R3162

प्रतिवादी

सुनवाई की तिथियाँ : 02.06.2017, 11.07.2017 एवं 11.08.2017

उपस्थित होने की तिथि 11.08.2017:

- प्रार्थी – वादी पक्ष अनुपस्थित
- श्री दीपक गुप्ता, अध्यक्ष एवं श्री मनीष कुमार शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता लखनलाल नरवरिया, दृष्टिबाधित व्यक्ति ने विकलांग कोटे के अन्तर्गत चयनित होने के बावजूद नियुक्ति पत्र न देने से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 16.07.2015, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. वादी का अपनी शिकायत में कहना था कि उन्होंने पश्चिम मध्य रेलवे भर्ती बोर्ड, जबलपुर द्वारा आयोजित ग्रुप डी की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उनका वैरीफिकेशन दिनांक 28.04.2014 को जबलपुर में तथा मेडिकल परीक्षण दिनांक 29.04.2014 को भोपाल में हो चुका है। प्रार्थी का आगे कहना है कि सेलेक्शन सूची में नाम होने के बावजूद भी उन्हें आज तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

3. उपरोक्त मामले को दिनांक 29.07.2015 को पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के साथ उत्तराया गया।

4. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर का अपने पत्र दिनांक 24.08.2015 में कहना है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज व उम्मीदवारी सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की 45 रिक्तियों के लिए 54 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। चिकित्सा परीक्षण में विषयांकित उम्मीदवार को 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित पाया गया है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित उम्मीदवार को वाणिज्य विभाग में सफाईवाला के पद पर और चिकित्सा विभाग में हास्पिटल अटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। विपक्षी का आगे कहना है कि लिखित परीक्षा में 63.82 प्राप्तांक के दृष्टिबाधित उम्मीदवार से वाणिज्य विभाग में सफाईवाला के रिक्त पद को भरा गया है एवं चिकित्सा विभाग में हॉस्टिल के पद पर 57.84 प्राप्तांक के दृष्टिबाधित उम्मीदवार से भरा गया है उम्मीदवार के प्राप्तांक 55.37 है जो कि उपरोक्त दोनों उम्मीदवारों से कम है। अतः प्रार्थी का चयन नहीं किया जा सका है।

5. उपरोक्त जवाब की प्रति वादी को दिनांक 03.09.2015 को उनके टिप्पण हेतु भेजी गयी थी। वादी का अपने उत्तर/रिजवाइंडर में कहना है कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधितों का हनन हो रहा है एवं पास होने पर भी नियुक्त नहीं की जाती है। अतः इस केस को लंबे समय तक निरस्त न किया जाये।

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 24.08.2015 तथा दिनांक 11.01.2016 एवं वादी के पत्र दिनांक 24.10.2015 के मद्देनजर, दिनांक 02.06.2017 को सुनवाई रखी गई।

7. दिनांक 02.06.2017 को सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया तथा अपने लिखित कथनों को दोहराया और कहा कि सभी दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार की गई जिसमें कम दृष्टिबाधित एवं दृष्टिहीन दोनों उम्मीदवार सम्मिलित थे। पद आवंटन मेरिट के अनुसार किया गया जिसके अनुसार लिखित परीक्षा में 63.83 प्रतिशत के दृष्टि विकलांग उम्मीदवार से वाणिज्य विभाग में सफाईवाला के रिक्त पद को एवं चिकित्सा विभाग में हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर 57.84 प्रतिशत के दृष्टि विकलांग उम्मीदवार से भरा गया। श्री लखन लाल नरवरिया के लिखित परीक्षा में 55.37 प्रतिशत अंक है जो कि उपरोक्त दोनों उम्मीदवारों के प्राप्तांकों से कम है, अतः उनका चयन नहीं किया जा सका। प्रतिवादी का यह भी कहना है कि अधिसूचना संख्या 02/2012 से संबंधित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों की अधिसूचित 45 रिक्तियों के विरुद्ध 54 उम्मीदवारों को बुलाया गया था जिनमें से केवल 12 रिक्तियां भरी गईं।

8. न्याय के हित में, प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि अगली सुनवाई के दौरान दिनांक 11.07.2017 को निम्नलिखित जानकारी शपथ-पत्र (Affidavit) के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत करें:-

- कौन-कौन से पद किस-किस श्रेणी के लिए आरक्षित किये गये थे।
- कितने पद दिव्यांगजनों से भरे जाने थे और कितने भरे गये। श्रेणी का विवरण भी प्रस्तुत करें।
- क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 22 का पालन किया गया था।
- सन् 1996 से वर्ग 'ग' एवं 'घ' की भर्ती का ब्यौरा तथा संपर्क अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ कि आरक्षण रजिस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.1996 से बनाया गया है।
- चयनित उम्मीदवारों की सूची एवं उनके द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण।

9. दिनांक 11.07.2017 को प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अपना लिखित जवाब सलग्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया तथा दिनांक 11.08.2017 को अगली सनुवाई रखी गई। शिकायतकर्ता पुनः न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। दिनांक 11.08.2017 को पाया गया कि मामले में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 कि किसी धारा, नियम या सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है चूंकि श्री लखन लाल नरवरिया के लिखित परीक्षा में 55.37 प्रतिशत थे जो कि अन्य दोनों उम्मीदवारों से कम है, इसलिए उनका चयन नहीं किया जा सका। यह न्यायालय प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा करता है:-

- रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें और बैकलॉग रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरें।
- भविष्य में कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 36035/3/2004-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 25 के अनुसार विज्ञापन दें।



(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन)